भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का कार्यकरण

4993. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली अपने उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रहा है और इसके निष्पादन में इन दिनों काफी कमी आ गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यकरण पर निगरानी रखने और इसमें सुधार करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार इस संस्थान का निजीकरण करने का विचार रखती है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि वहां "स्पीकर्स" (प्रवक्ता) का चयन गुणों के आधार पर न करके अन्य आधारों पर किया जाता है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के कई संकाय सदस्य मानकों को पूरा नहीं करते हैं और सरकारी पैसा मुफ्त में लूट रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत स्वायत्त समिति है । इस संस्थान के स्तर में किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता ।

Rules Governing Splits in Central Government Employees' Associations

4994. SHRI NARAIN PRASAD GUPTA :

SHRI KAILASH NARAIN SARANG :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) what are the norms/rules that govern separation/splits in recognised associations of employees of Cental Government;

(b) whether these norms/rules arebindinig/upplicable to autonomous bodies, fully funded and controlled by the Government of India ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA) : (a) Recognition of Service Associations of Central Government employees is regulated in terms of Central Civil Services (Recognition of Service Associations) Rules, 1993. There is no provision in these Rules governing separation /split in recognised Associations.

(b) The Rules applicable to Central Government Departments are not, *ipso facto,* applicable to the autonomous bodies under the Central Government unless they are specifically adopted by such bodies.

पेंशन के मामलों में अनियमितताएं संबंधी शिकायतें

4995. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत एक वर्ष के अन्दर सरकार को विभिन्न स्रोतों से पेंशन के मामलों में अनियमितताओं के संबंध में कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(ख) इन शिकायतों में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा कितनी शिकायतें की गई हैं और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) पेंशन की मंजूरी तथा वितरण से संबंधित कार्य विकेन्द्रीकृत है । सेवानिवृत्त कर्म-

चारी मूलत: अपनी शिकायतें उन संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजते हैं जहां से वे सेवा-निवृत्त हुए थे, तथापि बहुत से सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन संबंधी मामलों के बारे में अपनी शिकायतों के निवारण के लिए साथ के साथ पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग/मंत्रिमण्डल सचिवालय/राष्ट्रपति सचिवालय आदि को भी सम्बोधित करते हैं । इनमें से कुछ शिकायतों का संबंध पेंशन की ऐसी सुविधाओं की मंजूरी से होता है जो विद्यमान नियमों के अधीन अनुज्ञेय नहीं है। विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के कारण अपेक्षित सूचना केन्द्रीकृत रूप में उपलब्ध नहीं है ।

(ख) स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन केवल तभी मंजूर की जाती है जब यह सुनिश्चित हो जाता है कि आवेदक सरकार के कार्यकारी आदेश के तहत कम से कम 6 महीने तक बंदी/फरार/नजरबन्द/निर्वासित रहा हो । जिन आवेदकों के दावे योजना में निर्धारित पात्रता की शर्तें पूरी न होने के कारण अस्वीकार कर लिए जाते हैं वे अपने दावे अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध अपनी पुनरीक्षण याचिकाएं/अभ्यावेदन या तो स्वतंत्र रूप से अथवा संसद सदस्यों/महत्वपूर्ण व्यक्तियों के माध्यम से भेजते रहते हैं । ऐसी पुनरीक्षण याचिकाओं पर विचार किया जाता है और यदि आवेदक बाद में मान्य कागजी सबूत पेश करने की स्थिति में होते हैं तो उनके दावों पर पेंशन के लिए विचार किया जाता है । ऐसी पुनरीक्षण याचिकाओं/अभ्यावेदनों की प्राप्ति तथा निपटान एक सतत प्रक्रिया है ।

Selection of All India Service Officers on the basis of Mandal Commission's Recommendations

4996. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE :

SHRI RAJNI RANJAN SAHU :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether any All India Service Officer Was been given appointment or selected on the basis of reservations made in pursuance of Mandal Commission's recommendations: and

(b) if so, the details in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA) : (a) No, Sir. The benefit of reservation of vacancies for Other Backward Classes will be available from the Civil Services Examination 1994 and Indian Forest Service Examination, 1994.

(b) Does not arise.

Entitlement of Officers for Stenographic Assistance

4997. SHRI E. BALANANDAN : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the scale of Stenographic assistance to officers in subordinate offices has been laid down by Government on the 6th February, 1989 and the same is subject to assessment of nature of jobs and quantum of work of -the officers by the Staff Inspection Unit;

(b) if so, what are the guidelines to be followed by the SIUs/Internal Work Study Units for carrying out the above mentioned studies;

(c) whether similar guidelines have been prescribed for headquarter posts in the Central Secretariat and other allied offices, including Defence Headquarters;

(d) if not, the reasons therefor, alongwith the details of yardsticks being followed in their respect; and

(e) what is the exact quantum of work and the nature of job prescribed for making an officer entitled for stenographic assistance of different grades ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA) :

(a) to (e) The scale of stenographic assistance as indicated in the orders dated 6-2-89 are provided to the officers in subordinate offices who essentially perform administrative duties. In the case of Technical and Scientific officers who perform administrative duties also, alongwith the duties in their own field, the stenographic assistance is subject to assessment of quantum of administrative work. The assessment of staff is made